दिनांक : 31.10.2020

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND TRAINING, UP, LUCKNOW

नीट यू0जी0(यू0पी0)–2020 की काउसिलिंग हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

- अर्ह (Neet Qualified) अभ्यर्थी दिनांक 05.11.2020 से पंजीकरण कराया जाना प्रस्तावित है।
- अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता नीट–2020 हेतु एन0टी0ए0 द्वारा जारी ब्रोशर के अनुसार होगी।
- दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगें। भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों की सूची निम्नवत् है:–
  1. Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital, New Delhi
  2. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (for Locomotor Disability only), Mumbai
  3. Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Kolkata
  4. Madras Medical College, Chennai
  5. Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound, Mumbai
  6. Goa Medical College, Goa
  7. Government Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala
  8. SMS Medical College, Jaipur, Rajasthan
  9. Govt. Medical College and Hospital, Sector32, Chandigarh
  10. Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board, Agartala, Tripura
  11. Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होनें हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें शासनादेश संख्या–157/तीन–2003–77 (11)/83, दिनांक–18.02.2003 के अनुसार प्रारूप–1 सत्यापन सहित व प्रारूप–2 दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय मेडिकल कालेजों की स्टेट कोटा की काउसिलिंग हेतु अर्ह होगें। **(प्रारूप सलंग्न) पूर्व में निर्गत (पुराना)** प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- अर्ह अभ्यर्थी एन0आई0सी0 की https://upneet.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क की धनराशि रू0 2,000/– (रूपये दो हजार मात्र) है। पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड/नैट बैंकिग के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र दिनांक–01 अप्रैल, 2020 अथवा इसके बाद का निर्गत होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किए जाने सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/का–2/19 टी0सी0–11, दिनांक–18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ई0डब्ल्यू0एस0 का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजों/ संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में लागू होगा, जिनमें एम0सी0आई0 द्वारा ई0डब्ल्यू0एस0 के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- दिव्यांग (PwD), स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी(FF) एवं भूतपूर्व सैनिकों (Ex Army) के आश्रित अभ्यर्थियों हेतु संलग्न प्रारूप पर प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पूर्व में निर्गत(पुराने) प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें।
- एन0सी0सी0 अभ्यर्थियों हेतु सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिग के साथ होना अनिवार्य है।
- विस्तृत विवरण शासनादेश एवं ब्रोशर में दिया जायेगा।

महानिदेशक

ANNEXURE-I

- **List of Centres who will issue Disability Certificates as per 21 Benchmark Disabilities given under RPWD Act-2016.**

S/No.	Centres who will issue Disability Certificates as per 21 Benchmark Disabilities given under RPWD Act-2016	City/State
1.	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital,	**New Delhi**
2.	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (for Locomotor Disability only)	**Mumbai**
3.	Institute of Post Graduate Medical Education & Research	**Kolkata**
4.	Madras Medical College	**Chennai**
5.	Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound	**Mumbai, Maharashtra**
6.	Goa Medical College	**Goa**
7.	Government Medical College, Thiruvananthapuram	**Thiruvananthapuram, Kerala**
8.	SMS Medical College	**Jaipur, Rajasthan**
9.	Govt. Medical College and Hospital, Sector32	**Chandigarh**
10.	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	**Agartala/Tripura**
11.	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University,	**Varanasi/ Uttar Pradesh**

CERTIFICATE OF DISABILITY

(As per MCI Gazette Notification No. MCI-18(1)/2018-Med./187262 dated 5th Feb, 2019/ 14th May, 2019 for admission to Medical Courses in All India Quota)

Certificate No._____ **Dated**_____

Recent Passport Size Photograph of the candidate duly attested by the issuing authority

Name of the Designated Disability Centre (as per ANNEXURE):

_____

This to certify that Dr. / Mr. / Ms._____

Aged_____ **Years Son/ Daughter of Mr.**_____

R/o _____

_____

NEET Roll No._____, **Rank No.**_____, **has the following**

Disability (Name of the Specified Disability) _____ (in percentage)

of_____ **(in words)** _____ **(in Figures).**

- **Please tick on the "Specified Disability"**
  (Assessment may be done on the basis of Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-section(ii), Ministry of Social Justice and Empowerment)

S/No.	Disability Type	Type of Disability	Specified Disability
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability*	a. Leprosy cured person, b. Cerebral Palsy, c. Dwarfism, d. Muscular Dystrophy, e. Acid attack Victims, f. others such as Amputation, Poliomyelitis
		B. Visual Impairment*	a. Blindness b. Low Vision
		C. Hearing Impairment*	a. Deaf b. Hard of hearing
		D. Speech & Language Disability	a. Organic/ Neurological causes
2.	Intellectual Disability		a. Specific Learning Disabilities(Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental Aphasia b. Autism Spectrum Disorders
3.	Mental Behaviour		a. Mental illness
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinsonism
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia, ii. Thalassemia, iii. Sickle Cell Disease
5.	Multiple Disabilities including Deaf Blindness		More than one of the above specified disabilities

- **Conclusion:** He/ She is **Eligible/ Not Eligible** for admission in Medical/ Dental courses as per the MCI Gazette Notification subject to his being otherwise medically fit.
- ❖ Functional competency with the aid of **Assistive devices** in case of **Locomotor*/ Visual*/ Hearing* Impairment**, if any _____

Sign & Name_____
(Concerned Specialist)

Sign & Name_____
(Concerned Specialist)

Sign & Name_____
(Concerned Specialist)

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,

तुलसी गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊः दिनॉक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते है। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते है।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को **"नागरिकता"** जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को "नागरिकता" से जोडकर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमजंस की स्थिति का सामाना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंधी सार्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-भा0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनॉक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्द्वारा डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रख्यापित की जाती है :-

(1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तद्नुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा। -

(2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए **"सक्षम अधिकारी "** होंगे।

(3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।

(4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।

(5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चस्पा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 सलंग्न है।

(6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलाग्नित किया जायेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तदायित्य होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जॉच हेतु संबंधित जॉच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जॉच आख्या मॉग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जॉच आपत्तियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।

(9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवदेक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निसासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे है, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।

(10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय **"दि सिटीजनशिप एक्ट्-1955"** में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)

आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम .....

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम .....

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रामण पत्र (यदि है तो)
.....

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक).....

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो) .....
अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

आवेदक का नवीनतम फोटो सत्यापनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर सहित चस्पा दी जाये।

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नंगर पालिका एव उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र).....
पूरा वर्तमान पता .....
थाना .....तहसील .....
जनपद ..... (तथा पिछले तीन वर्षा से निवास करने का पता, कब से कब तक)
.....
उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि .....
(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान .....
(ख) जन्म तिथि .....(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)
8- स्थायी पता .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है (हॉ/नहीं)..... (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10-प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए .....

मैं..... घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम
तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

1- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी .....
..... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर .....ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट..... ..जनपद..... उत्तर प्रदेश को मैं ..... वर्षों से जानता हूँ।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी..... वर्षों से उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... की या उसके माता/पिता की ग्राम/मोहल्ला..... तहसील .....
जिला.....मैं अचल सम्पति है।
दिनाक:

हस्ताक्षर,
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-2

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है
श्री/श्रीमती/कुमारी .....
पुत्र/पुत्री/पत्नी .....
मकान नंबर .....
मुहल्ला ..... थाना ....
उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता .....
....

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (व्तकपदंतपसल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,
का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यू0पी0 नीट यू0जी0–2020

प्रमाण पत्र
{ UP FF }

संख्या– ..... दिनांक : .....

(उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....., निवासी ...., ग्राम ....., तहसील ....., नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।

स्थान : .....
दिनांक : .....

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर : .....
पूरा नाम : .....
पद नाम : .....
मोहर : .....

जिलाधिकारी
(सील)

यू0पी0 नीट यू0जी0–2020

प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक { UP ES }
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमांन्डिंग द्वारा प्रमाणित)

संख्या– ..... दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....., निवासी .... ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय ..... सेना में अधिवर्षता आयुपूर्ण कर दिनांक ..... को सेवानिवृत्त हुए हैं या थे/भारतीय सेना की सक्रिय सेना काल में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त की थी।

वीरगति/अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री ..... भारतीय ..... सेना की यूनिट ..... में नियुक्त थे।

दिनांक –.....

सेना की संबन्धित यूनिट के अधिकारी के
हस्ताक्षर तथा सील

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0 ..... निवासी .... उपरोक्त श्री ..... के पुत्र/पुत्री है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर .....
दिनांक .....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा
सील

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का नाम
युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता
थल/नभ/जल जो उपयुक्त, अभ्यर्थी का नाम
यूनिट की संख्या व पता